राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3 / 1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांकः–एफ 11() / आ.क.व / डीडीबीसी / सान्याअवि / 19 / 62865 जयपुर दिनांक 22/10/2019

परिपत्र

विषय :– आर्थिक कमजोर वर्गो (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु Income & Assest Certificate जारी करने के संबध में।

संदर्भ :– कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)DOP/A-II/2019 जयपुर दिनांक 20.10.2019 के अनुक्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, भारत सरकार के मेमोरेंन्डम संख्या 36039 / 1 / 2019–ESTT(RES) दिनांक 31.01.2019 एवं मानव संशाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) नई दिल्ली, भारत सरकार के मेमोरेंन्डम संख्या F No:12-4/2019 U1 दिनांक 17.01.2019 द्वारा क्रमशः आर्थिक कमजोर वर्गो (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) केन्द्र के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को उक्त आरक्षण का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से Income & Assest Certificate का प्रारूप भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। जो कि **Annexure-1** पर सलंग्न कर प्रेषित है। उक्त प्रारूप में ऐसे आवेदक को प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जो कि राज्य की अधिकृत अनुसूचित जाति, जनजाति व केन्द्रीय अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित नही हो।

इसी अनुक्रम में राजस्थान राज्य में कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)DOP/A-II/2019 जयपुर दिनांक 19.02.2019 एवं पत्रांक प.7(1) कार्मिक / क–2 / 2019 जयपुर दिनांक 22.02.2019 द्वारा राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को उक्त आरक्षण का लाभ प्रदान करने के दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा Income & Assest Certificate का निर्धारित प्रारूप (**Annexure-2**) तैयार किया गया है। उक्त प्रारूप में ऐसे आवेदक को प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जो कि राज्य की अधिकृत अनुसूचित जाति, जनजाति व केन्द्रीय अन्य पिछडा वर्ग एवं राज्य अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित नही हो।

उपरोक्त दोनो अर्थात केन्द्र एवं राज्य की सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्रदत करने हेतु Income & Assest Certificate की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये आवेदकों के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेंजों की सूची **(Annexure-3)** सलंग्न के अनुसार प्रेषित की गयी थी।

इसके पश्चात राजस्थान राज्य में कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)DOP/A-II/2019 जयपुर दिनांक 20.10.2019 **(प्रति सलंग्न)** द्वारा राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदत करने की दृष्टि में पूर्व में जारी कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)DOP/A-II/2019 जयपुर दिनांक 19.02.2019 के मापदण्डों में संशोधन किया गया है। **(परिशिष्ट अ)**

अतः कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 20.10.2019 जारी होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा Income & Assest Certificate जारी करने के संबध में पूर्व में जारी किये गये परिपत्र समसंख्यक दिनांक 12.03.2019 के अनुक्रम में उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में निम्न प्रकार से यथास्थित उचित संशोधित प्रावधान किये जाते है।

EWS /varun

1. केन्द्र के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाले से Income & Assest Certificate के मापदण्ड तथा आवेदन पत्र का प्रारूप **Annexure-3B** एव जारी किये जाने वाले Income & Assest Certificate का प्रारूप **Annexure-2** पूर्व की भांति ही यथावत रहेगें।

2. राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो के व्यक्तियों को राज्य के अधीन सेवाओं एव शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदत करने की दृष्टि से कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)DOP/A-II/2019 दिनांक 20.10.2019 द्वारा तय किये गये मापदण्डों के आधार पर Income & Assest Certificate जारी किये जायेंगे। राज्य के लिये उक्त आरक्षण लाभ प्रदत करने की दृष्टि से Income & Assest Certificate का प्रारूप **Annexure-A** तथा पूर्व में केन्द्र व राज्य के लिये आवेदन का प्रारूप एक समान था जिसमें परिवर्तन कर राज्य के लिये आवेदन पत्र का संशोधित प्रारूप **Annexure-B** निर्धारित किया गया है।

3. राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.03.2019 के अनुसरण में पूर्व में जारी केन्द्रीय व राज्यों सेवाओं के लिये जारी किये गये Income & Assest Certificate नियमानुसार मान्य होंगे।

4. जिन आवेदकों की जाति यथा अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग केन्द्रीय एवं राज्य सूची में एक समान है, ऐसे आवेदकों को केन्द्र एवं राज्य में आरक्षण का लाभ प्रदत करने के लिये अलग–अलग Income & Assest Certificate बनाने की आवश्यकता नही होंगी। अर्थात जिन आवेदकों को उक्त Income & Assest Certificate **Annexure-2** में जारी किया गया है ऐसे आवेदक राज्य व केन्द्र दोनों में उक्त आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये नियमानुसार पात्र होंगे।

उक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

<u>सलंगनः– उपरोक्तानुसार</u>

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः–एफ 11()/आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/ 62866-63066 जयपुर दिनांक 22/10/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1) सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3) वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालियक एवं कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा , जयपुर
11) सचिव,कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
12) सचिव, मानव संशाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार,नई दिल्ली।
13) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14) समस्त संभागीय आयुक्त.......................................
15) समस्त जिला कलक्टर को भेजकर निर्देशित किया जाता है परिपत्र में वर्णितानुसार पालना सुनिश्चित करावें।
16) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.......................................
17) समस्त उपखण्ड अधिकारी.......................................
18) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.......................................
19) सयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, योजना भवन जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित परिपत्रानुसार संबधित पोर्टल पर अविलम्ब समस्त आवश्यक संशोधन कराने का श्रम करावें।

EWS /varun

0141-2226642 Email - sje.bc@rajasthan.gov.in

20) उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि।
21) सयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबधित को ई–मेल कराने हेतु
22) गार्ड फाईल

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

EWS /varun

Annexure-A

Government of Rajasthan

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERT IFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. date:

VALID FOR THE YEAR

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ....son/daughter/wife of ....permanent resident of ....Village/Street ....Post Office.................. District.......................... in the State/ Union Territory..............................Pin Code..................................."whose photograph is attested pelow belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family "**is below Rs. 8(Rupees Eight Lakh only) for the financial year..............................

2. Shri/Smt./Kumari.. belongs to the...................... caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State List).

This certificate is recognized for State of Rajasthan.

Recent Passport size attested photograph of the applicant

Signature with seal of Office..............................

Name..

Designation..

"Note1. Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc

Note2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18years.

Note 3. This certificate is in relation to notification F 7/1/DOP/A-II/2019 date 20-10-2019 issued by Department Of Personnel, Government of Rajasthan.

EWS /varun

Annexure-B

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (Economically Weaker Sections) के लिए राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं के लिये नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश हेतु आरक्षण के लिये Income & Assest Certificate प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप–

आवेदक की फोटो

सेवामें,

....

....

....

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे राज्य सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करवाने का कष्ट करावें। मेरे द्वारा निम्नप्रकार से सूचनाऐ प्रेषित है:–

आवेदक का आधार कार्ड नम्बर–............................

1. आवेदक का पूरा नाम–..
   (बडे अक्षरों में)
2. जन्म तिथि– .... जन्म स्थान– .... उम्र– ....
3. निवास स्थान का पूर्ण पता–..
   (क) वर्तमान पता– ....
   ....
   (ख) स्थाई पता– ....
   ....
   फोन नम्बर– .... मोबाईल नम्बर– ....
4. आवेदक का धर्म–........................... जाति– .... उप जाति– ....
5. क्या आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति में से किसी भी जाति में सम्मिलित है या नही। (हॉं या नही) यदि है तो कौनसी जाति–जाति का नाम लिखें–....................
6. लिंग– पुरूष/महिला वैवाहित स्थिति– विवाहित/अविवाहित
7. पिता का नाम–...
8. माता का नाम– ....
9. पति का नाम– ....
10. पत्नि का नाम–..
11. पिता–माता–पति की प्रास्थिति–

	पिता	माता
(क) संवैधानिक पद		
(ख) पद नाम		

पिता	माता	पति	पत्नि

EWS /varun

(ग) सरकारी सेवायें–

(1) **केन्द्रीय / राज्य**

(अ) पद नाम एवं विभाग का नाम–

(ब) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो–

(स) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(2) **अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ–संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ,विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि में नियोजन**

(अ) संगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) सेवा की कालावधि (दिनांक............................ से दिनांक.............................. तक)

(3) **पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन**

(अ) संगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(4) **पैरा मिलिटरी बलो को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल आदि में नियोजन**

(अ) संगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(5) **व्यवसाय वर्ग (उपरोक्त को छोडकर) व्यापार, कारोबार एवं उद्योग आदि**

(अ) उप–जीविका / वृत्ति का विवरण–

(6)आय / धन– समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय–

(1) कृषि, व्यवसाय व अन्य स्त्रोतों से आय–

(2) नौकरी से आय–

कुल आय राशि रूपयों में (वार्षिक) –

(घ) अन्य कोई अभ्युक्तियाँ–

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टयाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित सभी मापदण्ड को पूरा करता/करती हूँ तथा आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्युक्ति की नियुक्ति एवं प्रवेश रद्दीकरण होगी, मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होउँगा जो विधि और या नियमों के उपाबधिंत की जावें।

भवदीय,

स्थान–

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की प्रतियाँ आवश्यक रूप से संलग्न कीजावें–

1. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर डिजीटल फोटो चिपकाये तथा उसे उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापति करावें।
2. पते की पहचान हेतु आधार कार्ड का नम्बर/राशन कार्ड का नम्बर/मतदाता पहचान पत्र का नम्बर/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली एव पानी के बिल के K.No. अंकित करें।
3. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे– भूमि की जमाबंदी/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/ नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, या ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति (कोई भी दो)।
4. राजकीय कार्मिको को कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया वेतन से सम्बन्धित फार्म नम्बर–16 की प्रति
5. राजकीय उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कार्मिको को नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन विवरण या फार्म नम्बर–16 की प्रति।

EWS /varun

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)

No. F. 7(1) DOP/A-II/2019 **Jaipur, Dated** : 20 October, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (...............Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule.- The existing rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule given below, shall be substituted by the following, namely:-

"**Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.-** Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule **'Economically Weaker Sections'** shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application."

SCHEDULE

S. No.	Name of Service Rules	No. of existing rule
1	2	3
1.	The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954	8C
2.	The Rajasthan Police Service Rules, 1954	8C

37|2019 (i) (ii)

6 [illegible]

3.	The Rajasthan Accounts Service Rules. 1954	8C
4.	The Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954	-
5.	The Rajasthan Inspectors of Registration and Stamps Service Rules, 1954	8C
6.	The Rajasthan Service of Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Rules, 1954	8C
7.	The Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954	8C
8.	The Rajasthan Service of Engineers (B&R Branch) Rules, 1954	8C
9.	The Rajasthan Cooperative Service Rules, 1954	8C
10.	The Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958	9C
11.	The Rajasthan Labour and Welfare Service Rules, 1958	8C
12.	The Rajasthan Economics and Statistical Service Rules, 1958	9C
13.	The Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958	9C
14.	The Rajasthan Jails Service Rules, 1959	8C
15.	The Rajasthan State Insurance and Provident Fund Service Rules, 1959	8C
16.	The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960	8C
17.	The Rajasthan Employment Exchanges Service Rules, 1960	8C
18.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960	8C
19.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960	9C
20.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960	8C
21.	The Rajasthan Archaeology & Museums Service Rules, 1960	8C
22.	The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962	7C
23.	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962	8C
24.	The Rajasthan Forest Service Rules, 1962	7C
25.	The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963	7C
26.	The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963	7C
27.	The Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963	8C

28.	The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966	7C
29.	The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966	7C
30.	The Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967	7C
31.	The Rajasthan Excise Service (Preventive Officers) Rules, 1967	-
32.	The Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968	7C
33.	The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969	7C
34.	The Rajasthan Educational Service Rules, 1970	7C
35.	The Rajasthan Commercial Taxes Service Rules, 1971	7C
36.	The Rajasthan Architectural Service (P.W.D. & B & R) Rules, 1973	7C
37.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973	7C
38.	The Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974	-
39.	The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975	7C
40.	The Rajasthan Archives Service Rules, 1975	7C
41.	The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975	7C
42.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Service Rules, 1976	7C
43.	The Rajasthan Tourism Service Rules, 1976	7C
44.	The Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules, 1976	7C
45.	The Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978	-
46.	The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979	7C
47.	The Rajasthan Forensic Science Service Rules, 1979	7C
48.	The Rajasthan State Enterprises Service Rules, 1979	7C
49.	The Rajasthan Transport Service Rules, 1979	7C
50.	The Rajasthan Librarian and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) Rules, 1980	-
51.	The Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980	7C
52.	The Rajasthan Legal State and Subordinate Service Rules, 1981	7D

6m8

53.	The Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service Rules, 1981	7D
54.	The Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986	7C
55.	The Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986	7C
56.	The Rajasthan State Institute of Public Administration Service Rules, 1990	-
57.	The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992	7D
58.	The Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service Rules, 1997	8B
59.	The Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998	10AA
60.	The Rajasthan Woman and Child Development State and Subordinate Service Rules, 1998	10A
61.	The Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000	10AA
62.	The Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001	10AA
63.	The Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007	9A
64.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service Rules, 2008	9A
65.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-I) Rules, 1955.	8D
66.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-II) Rules, 1955.	8D
67.	The Rajasthan Tehsildars Service Rules, 1956	8C
68.	The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960	8DD
69.	The Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1963	7D
70.	The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963	7D
71.	The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963	7D
72.	The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965	7D

73.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965	7D
74.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966	7D
75.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966	7D
76.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967	7DD
77.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967	7DD
78.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968	7D
79.	The Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971	7D
80.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971	7DD
81.	The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973	7DD
82.	The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973	7D
83.	The Rajasthan Subordinate Engineering (B & R Branch) Service Rules, 1973	7D
84.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973	7DD
85.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974	7D
86.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974	7D
87.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974	8D
88.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975	7D
89.	The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975	7D
90.	The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975	7D
91.	The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975	7D
92.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976	7D
93.	The Rajasthan State Enterprises Subordinate Service Rules, 1976	7D
94.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977	7DD

Gmtz

95	The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978	7DD
96	The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978	7C
97	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979	7DD
98	The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979	7D
99	The Rajasthan Circuit House Subordinate Service Rules, 1979	7D
100	The Rajasthan Forensic Science Subordinate Service Rules, 1980	7D
101.	The Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989	7D
102.	The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998	11AA
103.	The Rajasthan Subordinate Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001	12AA
104.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 2008	10A
105.	The Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010	8A
106.	The Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010	9A
107.	The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012	9A
108.	The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012	9A
109.	The Rajasthan Madarsa Education Assistant Subordinate Service Rules, 2013	9A
110.	The Rajasthan Language and Library (State and Subordinate) Service Rules, 2013	9A
111.	The Rajasthan Civil Aviation State Service Rules, 2013	8A
112.	The Rajasthan Vidhyalay Sahayak Subordinate Service Rules, 2015	9A
113.	The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015	9A
114.	The Rajasthan Excise Laboratory (State and Subordinate) Service Rules, 2015	9A

Gw

115.	The Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) Rules, 2015	9A
116.	The Rajasthan Women Empowerment (State and Subordinate) Rules, 2017	9A
117.	The Rajasthan Minority Affairs (State and Subordinate) Service Rules, 2017	9A
118.	The Rajasthan Bio-fuel (State and Subordinate) Service Rules, 2019	10
119.	The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970	7D
120.	The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999	11A
121.	The Rajasthan Class IV Service(Recruitment and other service Conditions) Rules, 1999	9A

BY ORDER AND IN THE NAME OF
THE GOVERNOR,

(JAI SINGH)
DEPUTY SECRETARY TO THE
GOVERNMENT

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)

Jaipur, Dated : 20 October, 2019

No. F. 7(1) DOP/A-II/2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules and regulations further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Service) Rules and Regulations, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) (...........Amendment) Rules and Regulations, 2019.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 8A.- The existing rule and regulation 8A of the Rajasthan Public Service Commission(Ministerial and Subordinate Service) Rules and Regulations, 1999 shall be substituted by the following, namely:-

"**8A. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.-** Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule **'Economically Weaker Sections'** shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application."

BY ORDER AND IN THE NAME OF
THE GOVERNOR,

(JAI SINGH)
DEPUTY SECRETARY TO THE
GOVERNMENT

Annexure-1

Government of Rajasthan

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. Date

VALID FOR THE YEAR

This is to certify that Shri/Smt /Kumari .... son/daughter/wife of .... permanent resident of .... Village/Street .... Post Office........ District........................ in the State/ Union Territory........................ Pin Code........................ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8(Rupees Eight Lakh only) for the financial year........................

His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities; .

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities

2. Shri/Smt./Kumari.. belongs to the........................ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

This certificate is recognized for Centre.

Recent Passport size attested photograph of the applicant

Signature with seal of Office........................

Name..

Designation..

Note1. Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc

Note2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18years

Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Note 4: This certificate is in relation to office memorandum number 36039/1/2019&EST (RES) date 31-01 2019 & F No:12-4/2019 U1 date 17-01-2019 issued by department of personnel and Training, Ministry of personnel, public grievances and pensions, and Department of Higher Education Ministry of Human Resource Development.

Annexure-2

Government of Rajasthan

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. Date

VALID FOR THE YEAR

This is to certify that Shri/Smt./Kumari .... son/daughter/wife of .... permanent resident of .... Village/Street .... Post Office.................... District.................................. in the State/ Union Territory.. Pin Code.. "whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family**is below Rs. 8(Rupees Eight Lakh only) for the financial year..

His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above

1. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

II. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities; .

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari .... belongs to the.............................. caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central /State List).

This certificate is recognized for both Centre /State of Rajasthan.

Recent Passport size attested photograph of the applicant

Signature with seal of Office........................

Name........................

Designation........................

Note 1. Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc

Note 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18years

Note 3. The property held by a "Family" in different locations or different places cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Note 4. This certificate is in relation both (a) office memorandum number 36039/1/2019/ESTT(RES) date 31-01-2019 & F No:12-4/2019 U1 date 17-01-2019 issued by department of personnel and Training, Ministry of personnel, public grievances and pensions, and Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development (b) F 7/1/DOP/A-II/2019 date 19-02-19 and F 7/1/DOP/A-II/2019 dated 22-02-2019 issued by Department Of personnel, Government of Rajasthan.

Annexure-3

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (Economically Weaker Sections) के लिए भारत सरकार / राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं के लिये नौकरियों एव शैक्षणिक सस्थाओ में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिये Income & Assest Certificate प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक की फोटो

सेवामें,

....
....
....

महोदय,

मैं निवेदन करता / करती हूँ कि मुझे केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करवाने का कष्ट करावें। मेरे द्वारा निम्नप्रकार से सूचनाऐ प्रेषित है:–

आवेदक का आधार कार्ड नम्बर–..............................

1. आवेदक का पूरा नाम–...
   (बडे अक्षरों में)
2. जन्म तिथि– .... जन्म स्थान– .... उम्र– ....
3. निवास स्थान का पूर्ण पता–..
   (क) वर्तमान पता– ....
   ....
   (ख) स्थाई पता– ....
   ....
   फोन नम्बर– .... मोबाईल नम्बर– ....
4. आवेदक का धर्म–.......................... जाति– .... उप जाति– ....
5. क्या आवेदक की जाति भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडी जाति में से किसी भी जाति में सम्मिलित है या नही। (हॉ या नही) यदि है तो कौनसी जाति–जाति का नाम लिखें–....................
6. लिंग– पुरूष / महिला वैवाहित स्थिति– विवाहित / अविवाहित
7. पिता का नाम–...
8. माता का नाम– ....
9. पति का नाम– ....
10. पत्नि का नाम–...
11. पिता–माता–पति की प्रास्थिति–

	पिता	माता
(क) संवैधानिक पद		

	पिता	माता	पति	पत्नि
(ख) पद नाम				

(ग) सरकारी सेवायें–

(1) केन्द्रीय / राज्य

(अ) पद नाम एव विभाग का नाम–

(ब) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो–

(स) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(2) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ–संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ,विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि में नियोजन

(अ) सगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) सेवा की कालावधि (दिनांक.................... से दिनांक.................... तक)

(3) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

(अ) सगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(4) पैरा मिलिटरी बलो को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल आदि में नियोजन

(अ) सगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(5) व्यवसाय वर्ग (उपरोक्त को छोडकर) व्यापार, कारोबार एवं उद्योग आदि

(अ) उप–जीविका / वृत्ति का विवरण–

(6) सम्पत्ति का स्वामित्व एवं विवरण–

i. वास्तविक कृषि भूमि–....................

ii. वास्तविक आवासीय फ्लेट–....................

iii. अधिसूचित म्यूनसिप्लीय क्षैत्र में वास्तविक आवासीय प्लाट–....................

iv. अधिसूचित म्यूनसिप्लीय क्षैत्र के बाहर वास्तविक आवासीय प्लाट–....................

(अ) आय / धन– समस्त स्त्रोतो से कुटुम्ब की वार्षिक आय–

(1) कृषि, व्यवसाय व अन्य स्त्रोतो से आय–

(2) नौकरी से आय–

कुल आय राशि रूपयों में (वार्षिक) –

(घ) अन्य कोई अभ्युक्तियाँ–

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टयाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित सभी मापदण्ड को पूरा करता/करती हूँ तथा आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्युक्ति की नियुक्ति एवं प्रवेश रद्दीकरण होगी, मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होऊँगा जो विधि और या नियमों के उपाबधिंत की जावें।

भवदीय,

स्थान–

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की प्रतियाँ आवश्यक रूप से संलग्न कीजावें–

1. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर डिजीटल फोटो चिपकाये तथा उसे उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापति करावें।
2. पते की पहचान हेतु आधार कार्ड का नम्बर/राशन कार्ड का नम्बर/मतदाता पहचान पत्र का नम्बर/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली एव पानी के बिल के K.No. अंकित करें।
3. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे– भूमि की जमाबंदी/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/ नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, या ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति (कोई भी दो)।
4. राजकीय कार्मिको को कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया वेतन से सम्बन्धित फार्म नम्बर–16 की प्रति
5. राजकीय उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कार्मिको को नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन विवरण या फार्म नम्बर–16 की प्रति।

हल्का पटवारी जॉच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जॉच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... का/की है। यह आर्थिक कमजोर वर्ग की जाति .... उप जाति .... का/की है। इसके परिवार के पास तथा इनके पास स्वयं या परिवार के स्वामित्व में .... एकड़ कृषि भूमि तथा............ वर्ग गज आवासीय फ्लेट/भूखड है जो कि म्यूनसिप्लीय क्षेत्र की सीमा में या सीमा क्षेत्र से बाहर है। प्रार्थी का राशन कार्ड का नम्बर–.................................... दिनांक – ....

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर पटवारी

हल्का नम्बर ....

Annexure-3B

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections) के लिए भारत सरकार के अधीन पदों और सेवाओं के लिये नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिये Income & Asset Certificate प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक
की
फोटो

सेवा में,

....

....

....

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करवाने का कष्ट करावें। मेरे द्वारा निम्नप्रकार से सूचनाएँ प्रेषित है–

आवेदक का आधार कार्ड नम्बर– ....

1 आवेदक का पूरा नाम– ....
(बड़े अक्षरों में)

2 जन्म तिथि– .... जन्म स्थान– .... उम्र– ....

3 निवास स्थान का पूर्ण पता– ....

(क) वर्तमान पता– ....
....

(ख) स्थाई पता– ....
....

फोन नम्बर– .... मोबाईल नम्बर– ....

4 आवेदक का धर्म– .... जाति– .... उप जाति– ....

5 क्या आवेदक की जाति भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति में से किसी भी जाति में सम्मिलित है या नहीं। (हाँ या नहीं) यदि है तो कौनसी जाति–जाति का नाम लिखें– ....

6 लिंग– पुरूष/महिला वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित

7 पिता का नाम– ....

8 माता का नाम– ....

9 पति का नाम– ....

10 पत्नि का नाम– ....

11 पिता–माता–पति की प्रास्थिति–

पिता माता

(क) संवैधानिक पद

(ख) पद नाम

पिता माता पति पत्नि

(ग) सरकारी सेवायें–

EWS /varun

(1) केन्द्रीय / राज्य

(अ) पद नाम एवं विभाग का नाम–

(ब) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो–

(स) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(2) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ–संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ,विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि में नियोजन

(अ) संगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) सेवा की कालावधि (दिनांक........................ से दिनांक........................ तक)

(3) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

(अ) संगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(4) पैरा मिलिटरी बलो को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल आदि में नियोजन

(अ) संगठन का नाम

(ब) पद नाम

(स) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो

(द) प्रथम नियुक्ति की तारीख–

(5) व्यवसाय वर्ग (उपरोक्त को छोडकर) व्यापार, कारोबार एवं उद्योग आदि

(अ) उप–जीविका / वृत्ति का विवरण–

(6) सम्पत्ति का स्वामित्व एवं विवरण–

i. वास्तविक कृषि भूमि–..

ii.वास्तविक आवासीय फलेट–..............................

iii. अधिसूचित म्यूनसिप्लीय क्षैत्र में वास्तविक आवासीय प्लाट–..............................

iv. अधिसूचित म्यूनसिप्लीय क्षैत्र के बाहर वास्तविक आवासीय प्लाट–....................

(अ) आय / धन– समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय–

(1) कृषि, व्यवसाय व अन्य स्त्रोतों से आय–

(2) नौकरी से आय–

कुल आय राशि रूपयों में (वार्षिक) –

EWS /varun

(घ) अन्य कोई अभ्युक्तियाँ–

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टयाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित सभी मापदण्ड को पूरा करता/करती हूँ तथा आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्युक्ति की नियुक्ति एवं प्रवेश रद्दीकरण होगी, मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होऊँगा जो विधि और या नियमों के उपाबधिंत की जावें।

भवदीय,

स्थान–

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की प्रतियाँ आवश्यक रूप से संलग्न कीजावें–

1. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर डिजीटल फोटो चिपकाये तथा उसे उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापति करावें।
2. पते की पहचान हेतु आधार कार्ड का नम्बर/राशन कार्ड का नम्बर/मतदाता पहचान पत्र का नम्बर/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली एव पानी के बिल के K.No. अंकित करें।
3. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे– भूमि की जमाबंदी/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/ नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, या ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति (कोई भी दो)।
4. राजकीय कार्मिको को कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया वेतन से सम्बन्धित फार्म नम्बर–16 की प्रति
5. राजकीय उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कार्मिको को नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन विवरण या फार्म नम्बर–16 की प्रति।

हल्का पटवारी जॉच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जॉच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... का/की है। यह आर्थिक कमजोर वर्ग निवासी .... का/की है। इसके परिवार की जाति .... उप जाति .... के पास तथा इनके पास स्वयं या परिवार के स्वामित्व में .... एकड़ कृषि भूमि तथा............ वर्ग गज आवासीय फ्लेट/भूखड है जो कि म्यूनसिप्लीय क्षेत्र की सीमा में या सीमा क्षेत्र से बाहर है। प्रार्थी का राशन कार्ड का नम्बर–.............................. दिनांक – ....

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर पटवारी

हल्का नम्बर ....

EWS /varun